FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0044 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/02/2026 12:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/02/2026 12:05:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RAJKIYA JANANA CHIKITSALAY, BHARTPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RATIRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROSHANLAL BGHEL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BAURAI, KUMHER, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BAURAI, KUMHER, KUMHER, डीग, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8952926255

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAM KUNWAR GURJAR		पिता:RAMKARAN GURJAR	1. SHUKLO KI DHANI,MUNDOTA,KALWAR,JAIPUR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी करौली विषय रिश्वत लेने वालों को ट्रेप करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि जनाना अस्पताल भरतपुर में संविदा पर ट्रोली पुलर वार्ड वॉय की जगह निकली है जिसके लिये मैने आवेदन किया है इसके लिये मै दिनांक 08.02.2026 को पीएमओ कार्यालय भरतपुर में जाकर पीएमओ साहब नगेन्द्र से मिला तो उन्होने जनाना अस्पताल की लेब में कार्यरत लेब टैक्निशियन राम कुंवर से मिलने व बात करने के लिये कहा जिस पर मै राम कुंवर से जाकर मिला तो उसने ट्रोली पुलर के आदेश कराने के बदले में मेरे से पीएमओ व स्वयं के लिये 30,000 रूपये रिश्वत में मांगे है, इन्हें रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेने-देन बकाया नहीं है हस्ताक्षर प्रार्थी रतीराम पुत्र रोशन लाल जाति बघेल उम्र 32 वर्ष निवासी गांव बौरई तहसील कुम्हेर जिला डीग मो. नं. 8952926255, दिनांक 09.02.2026, हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली 09.2.2026, हस्ता. स्वतंत्र गवाह-कैलाशचन्द मीना व मुकेश कुमार जाटव दिनांक 11.02.2026 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर षिकायतकर्ता परिवादी श्री रतीराम पुत्र श्री रोशनलाल जाति बघेल उम्र 32 वर्ष निवासी गांव बौरई तहसील कुम्हेर जिला डीग ने मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क उपरान्त दिनांक 09.02.2026 को समय 05.00 पीएम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी करौली पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से मुझ पुलिस निरीक्षक को पेश की है। चॅूकि चौकी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही-सही होना बताते हुये बताया कि जनाना अस्पताल भरतपुर में संविदा पर ट्रोली पुलर वार्डवॉय की जगह निकलने पर मैने आवेदन किया था, और मै दिनांक 08.02.2026 को पी.एम.ओ. कार्यालय भरतपुर में जाकर पी.एम. ओ. साहब श्री नगेन्द्र जी से मिला तो उन्होने जनाना अस्पताल की लैब में कार्यरत लैब टैक्निशियन रामकुंवर से मिलने व बात करने के लिये कहा जिस पर मै रामकुंवर से जाकर मिला तो उसने ट्रोली पुलर के आदेश कराने के बदले में मेरे से पी.एम.ओ. व स्वयं के लिये 30,000 रूपये रिश्वत में मांगे है मै इन्हें रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे कोई दुष्मनी नहीं है और न ही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है मै यह कार्यवाही किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं परिवादी ने मांगने पर अपना ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेष की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया तत्पष्चात परिवादी को ट्रोली पुलर हेतु किये गये आवेदन आदि से सम्बन्धित कागजात पेश करने को कहा तो परिवादी ने बताया कि उसने सभी कागज अस्पताल में दे दिये है उसके पास कोई कागज नहीं है परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को आरोपीगण पी.एम.ओ. श्री नगेन्द्र एवं श्री राम कुवार लैब टैक्निशियन से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अब करौली से भरतपुर जाने में रात हो जायेगी तथा रात में आरोपीगण से उनके घर पर जाकर रिश्वत की मांग संबंधी वार्ता होना संभव नही है, दिनांक 10.02.2026 को ऑफिस खुलने पर 11-12 बजे के करीब दोनो से रिश्वत मांग संबंधी बार्ता हो जायेगी, आप अपना कोई कर्मचारी टेप रिकॉर्डर देकर भरतपुर भिजवा देना मै उससे सम्पर्क कर उससे वॉईस रिकॉर्डर लेकर पी.एम.ओ. नगेन्द्र एवं राम कुवार लैब टैक्निशियन से रिश्वत की मांग संबंधी वार्ता कर रिकॉर्ड कर लूंगा। इस पर श्री राकेश सिंह कानि. नम्बर 268 को तलब कर बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया एवं आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तत्पष्चात कार्यालय के विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर में नया सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिष्चत कर तथा वॉईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चित कर परिवादी एवं श्री राकेश सिंह कानि चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को उसके कहे अनुसार पाबंद किया कि वह दिनांक 10.02.2026 को दिन के 11-12 बजे के आस-पास आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर के पास हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर श्री राकेश सिंह कानि. से सम्पर्क कर उससे वॉईस रिकॉर्डर लेकर उसके हमराह आरोपीगण श्री नगेन्द्र पीएमओ तथा उसके बाद श्री राम कुवार लैब टैक्निशियन

के पास जाकर उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बंध में गोपनीय वार्ता कर उस वार्ता को रिकार्ड कर वॉईस रिकॉर्डर राकेश सिंह कानि. को सपुर्द करें तथा श्री राकेश सिंह कानि. नम्बर 268 को वॉईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित लेकर उपर्युक्त दिनांक को परिवादी से सम्पर्क होने पर भरतपुर में गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम सत्यापन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा वॉईस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड सहित वापस कार्यालय आलमारी में रखा गया, तत्पष्चात समय 06.00 पीएम पर परिवादी रतीराम को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा राकेष सिंह कानि. को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 10.02.2026 को समय 08.40 एएम पर परिवादी श्री रतीराम ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को सूचना दी कि संदिग्ध आरोपीगण दिनांक 10.02.2026 को अपने अपने कार्यालय में दिन के 11-12 बजे के आस-पास मिलेंगे जहां पर उनसे रिश्वत मांग संबंधी वार्ता हो जायेगी, आप अपने कार्यालय के राकेश सिंह कर्मचारी को वॉईस रिकार्डर देकर भरतपुर भिजवा दें मै आरबीएम अस्पताल भरतपुर के पास हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोटर साईकिल लेकर मिल जाऊंगा जिस पर समय 08.50 एएम पर कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित उसके किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर श्री राकेश सिंह कानि. नम्बर 268 को बाद समझाईस जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी रतीराम के कथनानुसार गन्तव्य स्थान आरबीएम अस्पताल भरतपुर के पास हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर समय करीब 11-12 बजे के आस-पास पहुचकर पूर्व से एवं आज हुई वार्तानुसार पाबन्द शुदा परिवादी रतीराम से सम्पर्क कर उसको हमराह लेकर सर्वप्रथम पीएमओ कार्यालय भरतपुर तथा उसके बाद जनाना अस्पताल भरतपुर पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण श्री नगेन्द्र सिंह पीएमओ व श्री राम कुंवर लेब टैक्निशियन के पास भेजकर संदिग्ध आरोपींगण द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन संबंधी वार्ता करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय 09.00 एएम पर रवाना भरतपुर किया गया। इसके बाद समय 03.56 पी.एम. पर श्री राकेश सिंह कानिस्टेबल नम्बर 268 ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी रतीराम की श्री नगेन्द्र पीएमओ से आरबीएम अस्पताल भरतपुर में एवं श्री राम कुंवर लैब टैक्निशियन से जनाना अस्पताल भरतपुर में वार्ता हो गई है जो परिवादी ने मेरे द्वारा सुपुर्द किये गये वॉईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करली है, परिवादी ने मुझे बताया है कि संदिग्ध आरोपी नगेन्द्र पीएमओ ने उससे कोई रिश्वत की मांग नही की है और ना ही उसके द्वारा राम कुंवर लैब टैक्निशियन से मिलने व बात करने की कहा है, तथा राम कुंवर लैब टैक्निशियन ने उससे उसके पीएमओ से ट्रोली पुलर के आदेश जारी कराने के नाम पर स्वयं के लिये 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है और पैसे लेकर कल दिनांक 11.02.2026 को सुवह उसको जनाना अस्पताल भरतपुर पर बुलाया है, तथा राकेश सिंह ने बताया कि परिवादी ने पीएमओ साहब से बातें करने के बाद वापस आकर वॉईस रिकॉर्डर मुझे दिया तब वॉईस रिकॉर्डर बन्द हालत में था परिवादी ने भींड होने से कोई गलत बटन दब जाने से स्वतः ही बन्द हो जाना बताया है फिर राकेश सिंह कानि. ने परिवादी की मन पुलिस निरीक्षक से वार्ता कराई तो उसने राकेश सिंह कानि. द्वारा बताई गई बातों की ताईद की, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा राकेश् सिंह कानि. को मय परिवादी वॉईस रिकॉर्डर सहित परिवादी से आरोपी द्वारा मांगी राशि का इन्तजाम कराकर करौली कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये, इसके बाद श्री केशव देव कानि. नम्बर 600 को कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विभाग करौली तहरीर सहित भेजकर दो स्वतंत्र गवाह श्री कैलाशचन्द मीना व श्री मुकेश कुमार जाटव कृषि पर्यवेक्षकों को तलब कर बुलाया जाकर उन्हें कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये दिनांक 11.02.2026 को प्रातः 07.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय करौली पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। इसके बाद समय 09.20 पीएम पर श्री राकेश सिंह कानिस्टेबल नम्बर 268 व परिवादी रतीराम बाद रिश्वत मांग सत्यापन उपस्थित कार्यालय आये एवं मन पुलिस निरीक्षक के सामने हाजिर होकर परिवादी ने मुझे बताया कि दिनांक 10.02.2026 मैने आरोपीगण श्री नगेन्द्र पीएमओ व राम कुंवर लेब टैक्निशियन की उपस्थिति के बारे में जानकारी की तो पीएमओ साहब का आरबीएम अस्पताल भरतपुर में एवं राम कुंवर लेब टैक्निशियन का जनाना अस्पताल भरतपुर में दिन के 11-12 बजे के आस-पास मिलने की जानकारी मिली जिस पर मेरे द्वारा आपको श्री राकेश सिंह कर्मचारी को वॉईस रिकार्ड सहित मेरे पास आरबीएम अस्पताल भरतपुर के पास हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले रोड पर भिजवाने को फोन किया था इसके बाद समय करीब 12 सवा बारह बजे के आस पास मुझे मेरे कहे अनुसार आपका कर्मचारी श्री राकेश सिंह भरतपुर में हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर मिल गया जिसे मैने बताया कि नगेन्द्र पीएमओ आरबीएम अस्पताल भरतपुर में है एवं राम कुंवर लेब टैक्निशियन जनाना अस्पताल भरतपुर में मिलेगा जिस पर मैने अपनी मोटरसाईकिल आरबीएम अस्पताल में पार्कग में खडी कर दी उसके बाद निर्जन स्थान देखकर राकेश सिंह ने टेप रिकॉर्डर कार्ड डले सहित अपने पास से निकालकर चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं मुझसे मेरा नाम एवं वॉईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता बुलवाकर उसे रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया जो मैने चालू हालत में अपने पास रख लिया और आरबीएम अस्पताल भरतपुर में पीएमओ कार्यालय के लिये रवाना हुआ तथा मेरे पीछे राकेश सिंह भी रवाना हुये जो

पीएमओ कार्यालय के बाहर ही रूक गये तथा मै पीएमओ कार्यालय में काफी समय के इन्तजार के बाद पीएमओ साहब के कक्ष में स्लिप देकर अन्दर पीएमओ साहब से मिला और उनसे अपने ट्रोली पुलर के आदेश के संबंध में बातचीत की तो उन्होने आवेदन कार्यालय में देने की कहा, किन्तु कोई पैसे की बात नहीं की मेरे द्वारा रामकुंवर लैब टैक्निशियन से मिलने व बात करने की कहा तो उन्होने मना कर दिया इस पर मैने बाहर आकर राकेश सिंह जी को टेप रिकॉर्डर दे दिया जिसे राकेश सिंह ने देखा तो वह बन्द था जिसके बारे में मैने पूछने पर भींड होने से कोई गलत बटन दब जाने से बन्द हो जाना बताते हुये इन राकेश जी को सारी बातें बता दी, उसके बाद हम दोनो मेरी मोटरसाईकिल से जनाना अस्पताल भरतपुर पहुंचे जहां पर राकेष जी ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया जिसको चालू हालत में लेकर मै लेब शाखा के अन्दर गया तथा राकेश सिंह जी बाहर ही खडे हो गये मुझे लेब शाखा में रामकुंवर लैब टैक्निशियन मौजूद मिला जिससे मैने अपने ट्रोली पुलर के आदेश जारी कराने के संबंध में बातचीत की तो उसने मुझसे कहा कि पीएमओ साहब से मिलने की क्या जरूरत थी आदेष तो मै करवाउंगा, फिर उसने मुझसे ट्रोली पुलर के पीएमओ से आदेश जारी कराने के लिये 25 हजार रूपये की मांग की और पैसे लेकर सुवह दिनांक 11.02.2026 को बुलाया है मेरे व राम कुवार लैब टैक्निशियन के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसे वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और बातचीत करने के बाद मै बाहर आया और वॉईस रिकार्डर कार्ड डले सहित चालू हालत में राकेश सिंह को दे दिया जिसे इनके द्वारा बन्द कर अपने पास रख लिया, फिर मैने राकेश सिंह को सभी बातें बता दी, मेरे द्वारा बताई गई बातों के बारे में राकेश सिंह ने आपको फोन से अवगत करा दिया था तथा मैने भी आपसे वार्ता कर सभी बातें बता दी थी, उसके बाद मै मांगी गई राषि का इन्तजाम कर राकेश सिंह जी के साथ साधन के अभाव में प्राईवेट वाहन से उपस्थित आया हूं, परिवादी के कथनों की राकेश सिंह कानि. ने पूछने पर ताईद की इसके बाद समय 09.50 पीएम पर श्री राकेश सिंह कानि. से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो असम्बन्धित वार्ता के अलावा संदिग्ध आरोपी नगेन्द्र पीएमओ व परिवादी के बीच हुई वार्ता का रिकॉर्ड नहीं होना तथा श्री राम कुवार लेब टैक्निशियन द्वारा परिवादी से उसके जनाना अस्पताल भरतपुर में ट्रोली पुलर वार्ड वॉय के पद पर कार्य करने संबंधी पीएमओ से आदेश जारी कराने के बदले में स्वयं के लिये 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि लेकर दिनांक 11.02.2026 को सुवह बुलाये जाने संबंधी वार्ता का रिकॉर्ड होना तथा मांग का स्पष्ट होना पाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया तथा परिवादी को कार्यालय में रात्रि में कार्यालय में ठहराया गया, एवं स्टाफ को दिनांक 11.02.2026 को प्रात कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 11.02.2026 को समय 07.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री कैलाश चन्द मीना एवं मुकेश कुमार जाटव कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित था उपस्थित दोनो गवाहों से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की तत्पश्चात दोनो गवाहों का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री रतीराम से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये तत्पश्चात कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य दिनांक 10.02.2026 को हुई रिश्वत मांग संबंधी वार्ता रिकार्ड है को बाहर निकालकर उसको लेपटॉप में अटैच कर टेबल स्पीकर की मदद से रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड वार्ता को चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के स्पष्ट मुख्य अंश सुनाये गये तो गवाहान द्वारा वार्ता को सुनकर आरोपी राम कुवार द्वारा परिवादी से 25000 रूपये की मांग करने संबंधी वार्ता का स्पष्ट होना स्वीकार किया, समय अभाव के कारण रिकार्ड वार्ता की कार्यवाही उपरान्त फर्द ट्रासक्रिप्ट व पैनड्राईव तैयार किया जाना उचित समझते हुये वॉईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी को बाहर निकालकर मार्क- A अंकित कर कबर में रखवाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया इसके बाद समय 08.00 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री रतीराम ने मांगने पर संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया तत्पष्चात श्री राकेश सिंह कानि. 268 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 25000 रूपये के नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रतीराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश चन्द मीना कृषि पर्यवेक्षक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नही होना पाई गई। इसके बाद श्री राकेश सिंह कानि. 268 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 25000 रूपये के नोट परिवादी श्री रतीराम के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान

रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश कुमार जाटव कृषि पर्यवेक्षक से ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त डिस्पोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राकेश सिंह कानि. 268 के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बन्द करवाकर श्री राकेश सिंह कानि. 268 से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री राकेश सिंह कानि. 268 से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये, परिवादी को छोडकर सभी ट्रेप पार्टी की आपस में एक दूसरे से तलाषी लिवाई गई जिसमें किसी के पास पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा कोई आपतिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री रतीराम को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी डालकर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 09.20 एएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर एवं जामा तलाषी उपरान्त श्री समय सिंह हैड कानि. नं. 45 को मय श्री बृजेश कुमार कानि. नम्बर 461, श्री विष्णु सिंह कानि. नम्बर 135, श्री केशवदेव कानि नम्बर 600 के मय ट्रेप बौक्स, दो सरकारी लेपटोप, मय प्रिन्टर, सरकारी वीडियो कैमरा आदि सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरा गाडी नम्बर आरजे-14 यूई 0815 से मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक नम्बर 561 के आगे-आगे रवाना कर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कैलाशचन्द मीना व श्री मुकेश कुमार जाटव कृषि पर्यवेक्षक एवं परिवादी श्री रतीराम के परिवादी द्वारा लाई हुई टैक्सी कार नम्बर आरजे-14 टीएफ 3534 से मय चालक के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही भरतपुर के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री राकेश सिंह कानि नम्बर 268 को एवं सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया तथा पूर्व से दीगर राजकार्य हेतु गये हुये श्री अजय कुमार एएसआई व गोपेन्द्र सिंह कानि 277 को भरतपुर में जनाना अस्पताल के पास मिलने की जरिये दूरभाष हिदायत दी गई। इसके बाद मन् जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान एवं परिवादी के समय करीब 12.05 एएम पर जनाना अस्पताल भरतपुर के पीछे पहुंचा जहां पर पूर्व से राजकार्यवश गये हुये श्री अजय कुमार एएसआई एव श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. नम्बर 277 उपस्थित मिले वहीं पर वाहनों को खडा करवाया जाकर परिवादी श्री रतीराम को वॉयस रिकॉर्डर चालू कराकर आरोपी राम कुवार के पास जनाना अस्पताल रवाना किया गया और उसके पीछे-पीछे श्री गोपेन्द्र कानि 277 को रवाना किया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहन के रवाना होकर जनाना अस्पताल के अन्दर पहुचां जहां परिवादी श्री रतीराम हम सभी से नजर मिलाता हुआ जनाना अस्पताल भरतपुर परिसर स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट के अन्दर चला गया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता के आस पास ही मौका स्थिति अनुसार खडे होकर परिवादी के नियत ईशारे का इंतजार करने लगा। तत्पश्चात समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री रतीराम ने ब्लड स्टोरेज यूनिट जनाना अस्पताल भरतपुर के मैन गेट से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों सहित परिवादी के पास पहुचा जहां पर परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात परिवादी ने पूछने पर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि राम कुवार लैब टैक्निशियन ने अपनी लेब के अन्दर डाक्टर चैम्बर में खडे-खडे ही उससे 25000 रुपये रिश्वत में मांग कर अपने दांहिने हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनकर अपनी पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब मे रख लिये है और वह अन्दर लैब के अन्दर ही है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी को साथ लेकर मैन गेट से होते हुये लैब के अन्दर प्रवेश किया तो परिवादी ने मैन गेट के पास बाहर नीली जर्सी व पैन्ट पहने खडे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि यही राम कुवार लैब टैक्निशियन है जिसने मुझसे मेरे जनाना अस्पताल में ट्रोली पुलर वॉर्ड वॉय के पद पर नियुक्ति आदेश कराने के बदले में 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अभी अभी

मुझसे प्राप्त किये है। इस पर उक्त व्यक्ति को मय हमराहियान जाप्ता व परिवादी को हमराह लेकर लैब के अन्दर डाक्टर चैम्बर में पहुंच उक्त व्यक्ति को परिचय उपरान्त उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राम कुवार गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी सुक्लों की ढाणी मुंडोता पुलिस थाना कालवाड जिला जयपुर हाल लैब टैक्निशियन (प्लैसमैन्ट कार्मिक)राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर(प्लेसमैन्ट एजेन्सी ए-1 वैशाली नगर जयपुर)होनाएवं ब्लड यूनिट में ब्लड की क्रॉस चैंकिग कर ब्लड लेने एवं पेसेन्ट को जांच कर दिये जाने का कार्य स्वंय द्वारा करना बताया। चूंकि परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में लैब टैक्निशियन का नाम रामकुवंर लिखा है जबकि आरोपी द्वारा अपना शुद्व नाम राम कुवार होना बताया है, अतः आगे आरोपी का नाम राम कुवार पढा जावेगा।तत्पश्चात आरोपी राम कुवार से परिवादी रतीराम से प्राप्त की गई 25,000 रुपये की राशि को प्राप्त करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने इस रतीराम से इसको प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से जनाना अस्पताल में ट्रॉली पुलर वार्ड वॉय के पद पर प्लेसमैन्ट कार्मिक के लगाने के लिये 25,000 रुपये प्लेस मैन्ट एजेन्सी ए-1 जयपुर को देने के लिये, लिये है। मैंने पीएमओ साहब नगेन्द्र भदौरिया को आदेश कराने के बदले में उन्हें देने के लिये नहीं लिये और ना ही इसमे पीएमओ साहब को कोई लेना देना है इस रतीराम के ट्रॉली पुलर पद पर कार्य करने के आदेश कल दिनांक 10.02.2026 को पीएमओ साहब द्वारा जारी कर दिये जो मैने इस रतीराम को व्हाटसएप के जरिये भिजवा दिये। मेरे द्वारा इस रतीराम से कोई रिश्वत राशि ना तो मांगी और ना ही ली गई है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी रतीरारम ने पूछने पर आरोपी राम कुवार के कथनों को झूठा होना बताते हुए बताया कि इन्होने मुझसे जनाना अस्पताल मे ट्रॉली पुलर वार्ड वॉय के पद पर प्लेसमैन्ट कार्मिक के रुप में पीएमओ साहब से आदेश कराने के लियें 30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी और दिनांक 10.02.2026 को सत्यापन के समय इन्होने मुझसे 25,000 रुपये की मांग कर दिनांक 11.02.2026 को लेकर आने के लिये कहा और आदेश कराने के लिये कहा था। उसी के अनुसार इनके द्वारा आज 25,000 रुपये रिश्वत में मांग कर लेकर गिनकर अपने पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रख लिये इनके द्वारा पैसे लेने के बाद ट्रॉली पुलर के ज्वाईनिंग आदेश की कॉपी व्हाटसएप कर दी गई है,जो मेरी मोबाईल में मौजूद है, जिसकी प्रिन्टर लेकर परिवादी व गवाहन के व आरोपी के हस्ताक्षर कराये गये। इन राम कुवार ने मुझसे उक्त कार्य के बदले में 25,000 रुपये की रिश्वत राशि ली है। इस पर परिवादी के कथनों के बारे में एक बार पुनः आरोपी राम कुवार से पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई बात नहीं बताई। तत्पश्चात आरोपी राम कुवार से परिवादी से प्राप्त की गई राशि कहां है के बारे मे पूछा तो उसने अपने हाथ के इशारे अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साइड की जेब में रखी होना बताया जिस पर स्वतन्त्र गवाह मुकेश कुमार जाटव से आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अन्दर एक 500-500 रुपये के नोटो की मुडी हुई गड्डी मिली जिसको बाहर निकलवाया जाकर उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500-500 के 50 नोट कुल 25,000 रुपये मिले जिनके नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले, जिन्हे उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया इसके बाद श्री समय सिंह हैड कानि 45 से ट्रेप बॉक्स वाहन से निकलवाकर मंगवाया गया और एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को श्री अजय कुमार एएसआई से निकलवाकर उनमें स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाश चन्द मीना से प्लास्टिक की बोतल में से साफ पानी भरवाया जाकर उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी राम कुवार लैब टैक्निशियन के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क- RH-1, RH 2अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी राम कुवार लैब टैक्निशियन के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबीहो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क LH 1, LH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री मुकेश कुमार जाटव के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई हुई आरोपी राम कुवार लैब टैक्निशियन के कब्जे से उसके पहने हुये पैन्ट की दाहिनी साईड की जेब में मिली रिश्वत राशि 25,000 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जाकर विवरण फर्द बरामदगी में अंकित कराकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 50 नोट कुल राशि 25000 रुपये के नम्बरो का पुनः फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो वही नम्बरी नोट मिले जिन्हें एक सफेद कागज की चिट के साथ शील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बरंग आसमानी नीला को बदन से उतरवाकर उसके किराये के आवास से लॉअर मंगवाकर पहनवाया गया और ट्रेप बॉक्स से एक

प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें गवाह श्री कैलाशचन्द मीना से उसके हाथ साबुन पानी से साफ कराने के बाद पानी भरवाकर उसमें थोडा सा सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा उक्त घोल में आरोपी के बदन से उतरवाई हुई पेन्ट बंरग आसमानी नीला की दाहिनी साईड की जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई को जरिये गवाह कैलाश चन्द मीना द्वारा डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-2 भरवाकर सील्ड मोहर व चिट चस्पा कर मार्क PP-1, PP-2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई दांहिनी साईड की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट बंरग नीला को कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉडर मैमोरी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन के समय की रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी राम कुवार लैब टैक्निशियन से परिवादी रतीराम के जनाना अस्पताल भरतपुर में ट्रॉली पुलर वार्ड बॉय प्लेसमैन्ट कार्मिक के रुप में आवेदन पत्र व उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज व नियुक्ति आदेश के बारे मे पूछा तो उसने पीएमओ ऑफिस भरतपुर में होना बताया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी राम कुवार से पीएमओ नगेन्द्र भदौरिया के मोबाईल नम्बर प्राप्त कर पीएमओ को परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड सहित पूछताछ हेतु मौके पर उपस्थित होने हेतु मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कॉल किया गया तो उनके द्वारा आधा-पौन घण्टे मे रिकॉर्ड भिजवाने व स्वंय के उपस्थित होने बाबत कहा गया। वांछित रिकॉर्ड को पृथक से प्राप्त कर जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया तो नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथ, पैन्ट की जेब की धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा में जरिये केशव देव कानि0 नम्बर 600 कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। समस्त कार्यवाही में धोवन की शिशियों, पेंट के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नमूना सील नं. 37 का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें इसके बाद हस्व तलब शुदा श्री नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर मौके पर उपस्थित आये जिनसे परिवादी द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 में ट्रोली पुलर के पद पर लगाने के बदले रिश्वत राशि रामकुवार लैब टैक्निशियन के मार्फत मांगने बाबत लगाये गये आरोपों बाबत पूछताछ की गई तो नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक ने दिनांक 04.02.2026 को चिकित्सालय में कार्यरत सेवा प्रदाता ऐजेन्सी को कार्मिक लगाने के लिये पत्र प्रेषित करने पर फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.02.2026 से परिवादी रतीराम को लगाते हुये पत्र भिजवाना जिसके क्रम में उसके द्वारा फर्म द्वारा भिजवाये गये कार्मिक परिवादी रतीराम को कार्यस्थल पर लगाने के लिये आदेशदिनांक 10.02.2026 जारी करना बताया एवं उक्त रिश्वत प्रकरण से स्वयं को कोई किसी प्रकार लेना-देना नहीं होना बताते हुये लिखित स्पष्टीकरण पेश किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया, उक्त मामले में श्री नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक की मुताबिक रिकॉर्ड वार्ता एवं पेष स्पष्टीकरण से कोई किसी प्रकार की संलिप्तता का होना नहीं पाया गया तत्पष्चात श्री नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक से आरोपी राम कुवार लेब टैक्निशियन का सेवा विवरण व उसके सलंग्न प्लेसमेंट कार्मिक होने संबंधी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। इसके बाद श्री नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परिवादी रतीराम के जनाना अस्पताल भरतपुर में प्लेसमेन्ट कार्मिक के रुप में ट्रॉली पुलर वार्ड बॉय पद पर लगाने संबंधी आदेश आवेदन आदि से सम्बन्धीत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां पेश की जिन्हें नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणित कराकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर जरिये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया ताबाद श्री नगेन्द्र भदौरिया चिकित्सा अधीक्षक को बाद हिदायत रूखसत किया गया इसके बाद समय 04.30 पीएम पर गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये इसके बाद समय 05.30 पी.एम. पर आरोपी श्री राम कुवार गुर्जर लैब टैक्निशियन को बाद चैक लिस्ट जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी स्वंतन्त्र गवाह से लिवाई गई तो तलाशी में पहने हुये कपडों के अलावा दो मोबाईल फोन मय सिम के मिले जिन्हें आरोपी की स्वेच्छा से श्री शनि फौजदार लैब टैक्निशियन को सुपुर्द किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से उसकी पत्नी श्रीमती संतोष को जरिये दूरभाष दी गई जिसके संबंध में नोटिस अन्तर्गत धारा 47,48 बीएनएसएस मुर्तिव किया गया, इसके बाद समय 06.20 पीएम पर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राम कुंवार लेब टैक्निशियन व जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर से रवाना होकर समय 10.00 पीएम पर एसीबी कार्यालय करौली पहुंचा, जहां पर

बजह सबूत को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक समय सिंह करवाया गया तथा तथा गिरफतार शुदा आरोपी रामकुंवार लैब टैक्निशियन को खाना खिलाकर जाप्ता की निगरानी में जिला चिकित्सालय करौली भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया, इसके बाद दिनांक 12.02.2026 को समय 12.10 एएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड मार्क- A जिसमें परिवादी रतीराम व आरोपीगण के मध्य दिनांक 10.02.2026 को रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय आलमारी में से निकालकर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगाकर उसको सरकारी लेपटॉप से चलाकर सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड के फाईल फोल्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135 से टाईप करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 16 जीबी मार्क- A.1 न्यायालय प्रति एवं मुलजिम प्रति मार्क- A.2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क- A.3 में संग्रहित करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर मूल मैमोरी कार्ड एवं डब पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात उक्त पैनड्राईवों को कबरों में सुरक्षित रख कवर के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क A.3 के अलावा पैनड्राईव मार्क- A.1, A2 को शील्ड मोहर किया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ता के मूल सेंडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको कवर में रखकर उसे सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क- A अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-A 3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया, तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों व मूल मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी समय सिंह हैड कानि0 नम्बर 45 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद परिवादी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूर्व में प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 11.02.2026 की आरोपी राम कुंवार लैब टैक्निशियन व परिवादी रतीराम के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूवरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार कर फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर 135 से टाईप कराई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि0 नम्बर 461 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 16जीबी न्यायालय प्रति मार्क B.1 एवं मुलजिम प्रति मार्क B.2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क B.3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क B3 के अलावा पैनड्राईव मार्क B 1 एवं मार्क B 2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड सेंडिस्क 16 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क B, अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क- B अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क B.3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों एवं मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी समय सिंह हैड कानि0 नम्बर 45 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 06.00 एएम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये केशव देव कानि0 नम्बर 600 सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई रिश्वत बरामदगी व हाथ, पेन्ट की जेब धुलाई सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली सैनडिस्क 16 जीबी पैनड्राईवों में जरिये कानि0 बृजेश कुमार संग्रहित करवाया जाकर मार्क VD 1 व VD 2 VD 3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क- VD 1 व VD 2 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव आईओ प्रति मार्क- VD.3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईवों को मालखाना प्रभारी समय सिंह हैड कानि0 नम्बर 45 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं. (37) को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 37, अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त आर्टिकल को

जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली करौली भेजकर गिरफतार शुदा आरोपी श्री राम कुंवार गुर्जर लैब टैक्निशियन को थाना कोतवाली करौली हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा नकल रपट रोजनामचाआम को शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात आरोपी श्री राम कुंवार गुर्जर लैब टैक्निशियन से परिवादी से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से समय 11.00 ए.एम. पर रूखसत किया गया तथा गिरफ्तार आरोपी राम कुंवार गुर्जर लैब टैक्निशियन को खाना खिलाकर मुलाजमानों की निगरानी में कार्यालय में रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय भ्र.नि. अधिनियम भरतपुर में पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री राम कुवार गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी सुक्लों की ढाणी मुंडोता पुलिस थाना कालवाड जिला जयपुर हाल लैब टैक्निशियन (प्लैसमैन्ट कार्मिक) राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर द्वारा स्वयं का प्लेसमेंट कार्मिक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री रतीराम पुत्र श्री रोशनलाल जाति बघेल उम्र 32 वर्ष निवासी गांव बौरई तहसील कुम्हेर जिला डीग से उसको राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर मे ट्रॉली पुलर वार्ड वॉय के पद पर प्लेसमैन्ट कार्मिक के रुप में चिकित्सा अधीक्षक से आदेश जारी कराने की एबज में वक्त सत्यापन दिनांक 10.02.2026 को स्वयं को अनुचित लाभ के तौर पर 25,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में रिश्वती राशि 25,000 रूपये दिनांक 11.02.2026 को परिवादी को राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट पर बुलाकर प्राप्त करना तथा राशि प्राप्त करने के बाद परिवादी के ट्रोली पुलर के कार्य बाबत चिकित्सा अधीक्षक आर.बी.एम. चिकित्सालय भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.02.2026 की प्रति उपलब्ध कराना एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि 25,000 रुपये उसके कब्जे से उसके पहने हुये पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर से तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात चिकित्सा अधीक्षक आर.बी.एम. चिकित्सालय भरतपुर कार्यालय से बरामद होना पाया गया है। अतः श्री राम कुवार गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी सुक्लों की ढाणी मुंडोता पुलिस थाना कालवाड जिला जयपुर हाल लैब टैक्निशियन (प्लैसमैन्ट कार्मिक) राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज , पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करौली.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राम कुंवार गुर्जर पुत्र स्व. श्री रामकरण गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र 36 वर्ष निवासी सुक्लों की ढाणी मुंडोता पुलिस थाना कालवाड जिला जयपुर हाल लैब टैक्निशियन (प्लैसमैन्ट कार्मिक) राजकीय जनाना चिकित्सालय भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 228 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 343-46 दिनांक 14.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- M/S A1 SERVICES, JAIPUR (PLACEMENT AGENCY) 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/02/2026 13:25:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)